

कार्यालय-जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महोबा।

कार्यालय – ज्ञाप

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महोबा के अन्तर्गत मध्यस्थता केन्द्र, महोबा में नवीन मध्यस्थगणों का पैनल नियुक्त किया जाना है। उक्त पैनल मध्यस्थगण के रूप में कार्य करने हेतु उ0प्र0 सिविल प्रक्रिया जिला न्यायालय मध्यस्थता नियमावली, 2021 के नियम 3 में दिये गये अर्हताओं एवं अनुभव रखने वाले इच्छुक नागरिकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

इस सम्बन्ध में इच्छुक नागरिक जिनके खिलाफ कोई दाण्डिक वाद लम्बित न हो और न ही किसी वाद में दण्डित हुये हों तथा निम्नलिखित में से कोई एक योग्यता धारित करतें हो, आवेदन कर सकते हैं –

1. ऐसे अधिवक्ता, जिनके पास न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो।
2. सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश।
3. ऐसे वृत्तिक/विशेषज्ञ, जिनके पास अपने-अपने क्षेत्रों में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव हो और जो विधि के क्षेत्र से सुपरिचित हों।

मध्यस्थता पैनल के लिए चयनित मध्यस्थगणों के यथाविहित 40 घण्टे का प्रशिक्षण लेना होगा।

आवेदक कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महोबा में निर्धारित प्रारूप (छायाप्रति संलग्न) में दिनांक 04.08.2025 तक सम्बन्धित दस्तावेजों की प्रतियों सहित आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। अन्य किसी भी सूचना हेतु कार्यालय में प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे के मध्य सम्पर्क कर सकते हैं।

उक्त से सम्बन्धित सूचना जनपद न्यायालय महोबा की वेबसाइट <https://mahoba.dcourts.gov.in> पर भी डाउनलोड कर प्राप्त किये जा सकते हैं।

दिनांक: 31.07.2025

संलग्नक-यथोक्त

भवदीय

(डॉ० विदुषी सिंह)
जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
महोबा।

प्रतिलिपि –

1. प्रभारी विज्ञापन/नियोजन एवं मूल्यांकन अधिकारी/वित्त एवं लेखा अधिकारी सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग उ0प्र0 लखनऊ को समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु प्रेषित।
2. अध्यक्ष जिला अधिवक्ता समिति महोबा को सूचनार्थ एवं समस्त अधिवक्ताओं के मध्य प्रचालित-प्रसारित किये जाने हेतु प्रेषित।
3. न्यायालय परिसर एवं जिला अधिवक्ता समिति कार्यालय, कलेक्ट्रेट परिसर, समस्त तहसील परिसरों सूचना पटों पर चस्पा किये जाने हेतु प्रेषित।
4. चरखारी एवं कुलपहाड़ न्यायालय परिसरों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु प्रेषित।
5. जिला सूचना अधिकारी महोबा को स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु प्रेषित।
6. कम्प्यूटर अनुभाग को मा0 उच्च न्यायालय एवं जनपद महोबा की वेबसाइट में प्रकाशन हेतु प्रेषित।
7. नजारत अनुभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

दिनांक: 31.07.2025

जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
महोबा।
**जनपद न्यायाधीश
महोबा**

मध्यस्थता केन्द्र महोबा में मध्यस्थ पद हेतु आवेदन पत्र

1. नाम:
2. पिता का नाम:
3. पता:
(क) कार्यालय:
(ख) निवास:
4. दूरभाष संख्या:
(क) कार्यालय:
(ख) निवास:
5. मोबाइल संख्या:
(क) कार्यालय:
(ख) निवास:
6. ई-मेल आईडी:
7. शैक्षणिक अर्हताएं:
8. व्यवसायिक अर्हताएं और अनुभव:
9. तकनीकी अनुभव, यदि कोई हो:
10. मध्यस्थता में विशेष अर्हता या अनुभव, यदि कोई हो:
11. बार काउंसिल नामांकन संख्या और दिनांक:
(केवल अधिवक्ताओं के लिए लागू)
12. क्या आपके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया है?
13. क्या आपको किसी नैतिक अधमता से अन्तर्वर्लित अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किया गया है?
14. क्या आपको दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है या विकृतचित्त को होना घोषित किया गया है?
15. क्या आपके विरुद्ध अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा कोई अनुशासनिक कार्यवाहियां प्रारम्भ की गयी हैं, या क्या आपको ऐसी अनुशासनिक कार्यवाहियों में दण्डित किया गया है? :

मैं.....एतदद्वारा निवेदन करता हूँ कि मैं न्यायालय में मध्यस्थता के रूप में पैनल में रखे जाने हेतु इच्छुक हूँ और उत्तर प्रदेश सिविल प्रक्रिया (जिला न्यायालय) मध्यस्थता नियमावली, 2021 के नियम 3 के अधीन पैनल में रखे जाने के लिए अपनी सहमति देता हूँ। यह आश्वासन देता हूँ कि मध्यस्थ के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के दौरान उक्त नियमावली के नियम 22 में यथा विहित आचारों का अनुसरण करूंगा। मैं, भारत के उच्चतम न्यायालय की मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति द्वारा यथा विहित मध्यस्थ प्रशिक्षण ग्रहण करने का वचन भी देता हूँ। मैं घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त प्रस्तुत सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

दिनांक :

हस्ताक्षर